मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विष्वविद्यालय

कोलार रोड, भोपाल–462016, दूरभाष –0755–2492096

(मध्यप्रदेश विधानसभा एक्ट 1991 द्वारा स्थापित एवं एन.सी.टी.ई. एवं आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम)

बी.एड.(सामान्य शिक्षा–मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा), बी.एड. (विशेष शिक्षा–मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) एवं डी.एल.एड.(मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2020–22

प्रवेश सूचना

1. कार्यक्रम	B.Ed. (ODL)	D. El. Ed. (ODL)	B.Ed. (Special Education)
2. स्वीकृत सीट समयावधि	1000 न्यूनतम 02 वर्ष अधिकतम 05 वर्ष	500 न्यूनतम 02 वर्ष अधिकतम 05 वर्ष	500 न्यूनतम 02 वर्ष 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष
3. पात्रता	1. स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त वि.वि. से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इन्जीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिये 55% अंको की अनिवार्यता है। 2. (अ) प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक। (यथा डी.एल.एड. /डी.एड/बी..टी.. आई/बी.टी.सी/डी.पी.ई. नियमित (Regular) रीति से किया हो) **अथवा** (ब) वे अभ्यर्थी जिन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस टू फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है। **विशेष–** दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किये गये NCTE कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।	(अ) हायर सेकेन्डरी +2 (कक्षा–12) या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। (ब) उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पष्चात् किसी भी मान्यता प्राप्त, शासकीय/अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 02 वर्ष का षिक्षण अनुभव सहित **किसी विद्यालय** में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो संबंधित DEO या BEO या **संकुल प्राचार्य** से प्रतिहस्ताक्षरित हो। CBSE संबद्ध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जा सकेंगे। **विशेष–** अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा।	स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंको के साथ उत्तीर्ण की हो। तकनीकी अथवा समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिये 55% अंकों की अनिवार्यता है निम्नानुसार योग्यता होने पर छात्र कों 10 अंक का लाभांश प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा– 1 निशक्त संतान होने पर माता–पिता को । 2 किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निशक्तजन का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में । 3 आर. सी. आई द्वारा प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में ।
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गो के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।		
4. प्रवेष के मानदण्ड	प्रवेश परीक्षा (100 अंक) में अर्जित प्राप्तांक (जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरूचि एवं सामान्य हिन्दी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे) (बी. एड. के लिए स्नातक स्तर एवं डी. एल. एड. हेतु हायर सेकेण्डरी स्तर)		प्रवेश परीक्षा (90 अंक) में अर्जित प्राप्तांक (जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरूचि एवं विकलांगता ज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेगें तथा माइनस मार्किंग होगी)
5 प्रवेष परीक्षा तिथि एवं समय	**Computer Based Test** विथ **SD50** भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाईन केन्द्रों पर दिनाँक 22/11/2020 को प्रातः 09.00 से 11.00 बजे तक आयोजित होगी। एक माह पूर्व **mponline** पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी।	**Computer Based Test** विथ **SD50** भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाईन केन्द्रों पर दिनांक 22/11/2020 को दोपहलर 2.00 से 4.00 बजे तक आयोजित होगी। एक माह पूर्व **mponline** पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी।	**Computer Based Test** विथ **SD50** भोपाल के ऑनलाईन केन्द्रों पर दिनांक 22/11/2020 को दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक आयोजित होगी। एक माह पूर्व **mponline** पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी।
6.प्रवेष सूची	प्रवेष हेतु पात्र सभी अभ्यार्थियों को एस.एम.एस./एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जावेगा तथा प्रावीण्य सूची वि.वि. की बेवसाइट www.bhojvirtualuniversity.com पर भी उपलब्ध होगी।		
7.अभिलेख सत्यापन	परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउन्सलिंग के लिए ऑनलाईन पंजीयन करना होगा। माह दिसम्बर 2020 से अध्ययन केन्द्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा तदुपरांत ऑनलाईन काउन्सलिंग के माध्यम से अध्ययन केन्द्र आंवटित किये जायेंगें। प्रवेष उपरांत अध्ययन केन्द्र परिवर्तित नही होगा।		
8.सम्पर्क कार्यक्रम	सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेष में स्थित विभिन्न अध्ययन केन्द्रों पर मई–जून में किया जायेगा।		
9.पाठ्यक्रम शुल्क	**बी.एड. हेतु रु. 30,000/–(रु. तीस हजार मात्र), डी.एल.एड. हेतु रु. 19,200/– (रु. उन्नीस हजार दो सौ मात्र)** एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) हेतु रु. **36000/–(रू. छत्तीस हजार मात्र)** निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउन्सलिंग के समय **ऑनलाइन के माध्यम से कुलसचिव म.प्र.भोज मुक्त वि.वि., भोपाल को देय होगी** । प्रवेष उपरांत शुल्क राशि वापस नही की जायेगी।		
10.आवेदन का तरीका एवं माध्यम	आवेदन पत्र एवं विवरण **mponline** की Website **https://mpbou.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है । इच्छुक पात्र आवेदक **रु. 1100/–** नामांकन एवं प्रवेष परीक्षा शुल्क(जो कि वापस नही होगा) जमा कर दिनाँक **10 अक्टुबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाईन** आवेदन **कर सकते है। विलम्ब शुल्क रु. 300/– के साथ दिनाँक 10 नवम्बर 2020** तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। आवेदन केवल **mponline** के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा और उसका शुल्क **रुपये 50.00** अलग से जमा करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए **ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियॉं पूर्णतः सत्य हैं जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं।** दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्यता पाये जाने पर विष्वविद्यालय को प्रवेष निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगी। **ऑनलाइन फार्म की प्रति (प्रिंट) काउन्सलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी,** प्रवेष संबंधी समस्त जानकारी विष्वविद्यालय की वेवसाइट www.bhojvirtualuniversity.com पर भी उपलब्ध है।		

नोट–
1. यूजीसी मान्यता प्रावधिक है।
2. बी.एड, एवं डी. एल.एड. ऑनलाईन प्रवेष परीक्षा केन्द्र की जानकारी एम. पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेष पत्र डाउनलोड करने पर परीक्षा के 03 दिवस पूर्व प्राप्त हो सकेगी।
3. सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहर ही आवंटित किया जाएगा, किन्तु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकता हैं। अभ्यर्थियों की संख्या 50 से कम होने पर उस शहर के अभ्यर्थियों को निकटतम परीक्षा केन्द्र पर स्थानांतरित किया जायेगा
4. प्रवेष परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

कुलसचिव